करण क्रमांक /2013 निगरानी

,929- III/13

निगरानी प्रस्तुत
दि. 09-11-2013 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-11-13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गिरवर पुत्र चतुरा
निवासी-ग्राम काली पहाड़ी (मेड़ा),
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
..........आवेदक

विरुद्ध

1. अमरसिंह पुत्र गुलईराम
निवासी- ग्राम काली पहाड़ी (मेड़ा), तहसील नरवर जिला शिवपुरी

2. पार्वती पत्नी सवाईलाल
निवासी- ग्राम काली पहाड़ी (मेड़ा), तहसील नरवर जिला शिवपुरी

3 अ- म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान् आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर

ब- अनुविभागीय अधिकारी,करैरा

स- तहसीलदार, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

निराकृत/निर्णीत 1/5/14
आदेश दिनांक 1/5/14

.........अनावेदकगण

निगरानी कमांक 3919/III/2013

निगरानी प्रस्तुत हुई है 10 वर्ष 03 माह से अधिक समय के विलम्ब के क्षमा किये जाने हेतु दर्शाए गए कारणों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में निगरानीकर्ता अनावेदक कमांक–2 रहा है एंव उसके विरूद्व प्रकरण चलने की जानकारी उसे यथासमय रही है।

1. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा–5 – विलम्ब माफी हेतु निवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया– प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं – विलम्ब माफ नही किया जा सकता।
2. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा–5 –कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना – विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सद्भाविक नहीं कहा जा सकता। ''लंगरी बनाम छोटा 1992 रा.नि. 289 पर अविलम्बित
3. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47– अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार के प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

अतएव विचाराधीन निगरानी 10 वर्ष 03 माह से अधिक समय उपरांत अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत हुई है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु दर्शाये गये आधार समाधान हेतु पर्याप्त आधार नहीं है जिसके कारण निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर